झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | **षोडश (मॉनसून) सत्र**

संख्या-01 | **सोमवार, दिनांक-22 जुलाई, 2019 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.43 बजे पूर्वा० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रारंभिक वक्तव्य:-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के सोलहवें मानसून सत्र के सुअवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन किया और इस सत्र में निर्धारित कुल-05 दिवसों में लिये जानेवाले विषयों से सदन को अवगत कराते हुए इस अवधि का सार्थक उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में भी आशा व्यक्त की।

वर्ष-2014 में भारतीय राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बयार आयी थी वह वर्ष-2019 के लोकसभा चुनाव में और तीव्र हुई जिन्होंने अकेले 303 सीटें जीतकर देश की राजनीति में एक नये मील के पत्थर को स्थापित किया। इस चुनाव में झारखण्ड विधान सभा से माननीय श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी तथा श्रीमती गीता कोड़ा ने जीत हासिल की। इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य से अन्य नवनिर्वाचित सांसदों को भी माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी गयीं। इसके साथ ही अन्य कई राज्यों में भी हुए विधान सभा चुनाव में नवनिर्वाचित सरकारों को भी हार्दिक बधाई दी गयी।

संथाली भाषा में साहित्य रचना के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री गुही राम किस्कू तथा इसी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार के लिए नामित श्री लक्ष्मण चन्द्र सोरेन को भी हार्दिक बधाई दी गयी। बाबा वैद्यनाथ धाम की श्रावणी मेला का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास द्वारा बिहार और झारखण्ड दो राज्यों की इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा को पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तारापीठ से जोड़कर तीनों राज्यों का तीर्थयात्रा सर्किट विकसित करने की परिकल्पना को अत्यंत ही सराहनीय कार्य माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सहिस के अब मंत्री के रूप में सदन में भाग लेने पर आसन द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनायें दी गयी।

पूरे देश में जल संकट से निबटने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही सार्थक पहल में समुचित सहयोग हेतु सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करते हुए पूरे देश की भाँति राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के आगामी 150वाँ जन्मदिवस 02 अक्टूबर, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 150 कि.मी. की पदयात्रा के निमित्त सभी सांसदों से अनुरोध किया है, उसी अनुरूप आसन द्वारा अपने राज्य में कोई पहल सरकार के स्तर से किये जाने हेतु अनुरोध किया।

वर्त्तमान सत्र के आहूत होने के पूर्व बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में मात्र तीन माननीय सदस्यों की उपस्थिति पर आसन द्वारा गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी। अंततः अपने उद्गार को व्यक्त करते हुए आसन द्वारा नये विधानसभा भवन में मिलने की कामना करते हुए वर्त्तमान सत्र के सार्थक उपयोग हेतु अनुरोध भी किया।

ह०प०/२०

2.सभापति का मनोनयन:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-10 (1) के अधीन निम्नांकित माननीय सदस्यों को चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा में षोडश (मानसून) सत्र के लिए सभापति के रूप में मनोनीत करने की घोषणा आसन द्वारा की गयी-

श्री स्टीफेन मराण्डी,	स० वि० स०
श्री अशोक कुमार,	स० वि० स०
श्री फूलचन्द मण्डल,	स० वि० स०
श्री आलमगीर आलम,	स० वि० स०
श्रीमती बिमला प्रधान,	स० वि० स०।

3.समिति का गठन:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224 (1) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षोडश (मानसून) सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किये जाने की घोषणा आसन द्वारा की गयी-

श्री दिनेश उरांव	अध्यक्ष	सभापति,
श्री रघुवर दास	मुख्यमंत्री	सदस्य,
श्री हेमन्त सोरेन	नेता, प्रतिपक्ष	सदस्य,
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य,
श्री रामचन्द्र सहिस	मंत्री	सदस्य,
श्री आलमगीर आलम	स० वि० स०	सदस्य,
श्री प्रदीप यादव	स० वि० स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	मंत्री,
श्री सरयू राय,	मंत्री,
श्री राधाकृष्ण किशोर	मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल,
श्री नलिन सोरेन	मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष,
श्री स्टीफेन मराण्डी	स० वि० स०,
श्री सुखदेव भगत	स० वि० स०,
श्री रबीन्द्रनाथ महतो	स० वि० स०,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	स० वि० स०,
श्री बिरंची नारायण	स० वि० स०,
श्री अरूप चटर्जी	स० वि० स०,
श्री राज कुमार यादव	स० वि० स०,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	स० वि० स०,
श्री अनंत कुमार ओझा	स० वि० स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। सभा की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद उक्त समिति की बैठक आज दिनांक-22.07.2019 को अध्यक्षीय कार्यालय में आहूत होने की सूचना आसन द्वारा समिति के माननीय सदस्यों को देते हुए उनसे उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया।

कृ०पृ०उ०

4.औपचारिक कार्य:-

(क) माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद -213 के खण्ड(2)(क) के अनुसरण में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गयी:-

i- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए)
(संशोधन) अध्यादेश, 2019
(झारखण्ड अध्यादेश संख्या-01/2019)

ii- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए)
(द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019
(झारखण्ड अध्यादेश संख्या-01/2019)

(ख) झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयक की विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई जिसपर माननीय राष्ट्रपति एवं माननीया राज्यपाल महोदया ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र की समाप्ति के उपरांत प्राप्त हुई है:-

माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018	20.05.2019	09/2019

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अनुमत विधेयकों की विवरणी-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2019	22.01.2019	02/2019
2.	झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018	28.01.2019	03/2019
3.	झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018	01.02.2019	04/2019
4.	झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	12.10.2018	05/2019
5.	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	07.02.2019	06/2019
6.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2019	14.02.2019	07/2019
7.	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं	14.02.2019	08/2019

क्र०पृ०उ०

	पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2018		
8.	झारखण्ड राज्य खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019	01.04.2019	10/2019

5. <u>वित्तीय कार्य</u>:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष-2019-20 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी को सभा पटल पर उपस्थापित किया गया। जिस पर कटौती का प्रस्ताव आज दिनांक 22/7/19 को 3 बजे अप० तक दिये जाने हेतु आसन से घोषणा की गई।

6. <u>कृत-कारवाई प्रतिवेदन का उपस्थापनः-</u>

पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-244(2) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र (17 जनवरी, 2019 से 08 फरवरी, 2019 तक) में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर उपस्थापित की गयी।

7. <u>शोक प्रकाशः-</u>

विगत सत्र से अबतक की अवधि में अनेक महत्त्वपूर्ण राजनेता, साहित्यकार और पत्रकार हमारे बीच से रुखसत हो गये जिनमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित, प्रख्यात मजदूर नेता, ए०के० राय, लोकसभा सदस्य, रामचन्द्र पासवान, उत्तराखण्ड के वित्त तथा संसदीय कार्य मंत्री, प्रकाश पंत, दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य, मांगे राम गर्ग, साहित्यकार एवं पूर्व विधायिका रमणिका गुप्ता, पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि, बॉलिवुड अभिनेता, साहित्यकार, गिरीश कर्नाड, राँची के प्रसिद्ध न्यूरोफिजिशियन डॉ० के०के० सिन्हा, प्रधान महालेखाकार, एस०के०एफ० कुजूर, फिल्म निर्माता, राज कुमार बड़जात्या, बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य, राम बहादुर आजाद, साहित्य के बहुमुखी रचनाकार, डॉ० लक्ष्मीधर मालवीय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं संगठन मंत्री, प्रकाश करात, झारखण्ड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ीद्व स्टानिस्लास बाड़ा, प्रसिद्ध उद्योगपति, बसंत कुमार बिड़ला, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मेजर केतन शर्मा, ऑपरेशन मेघदूत में शामिल बोकारो के नायक सूबेदार, प्रवीण कुमार, पुणे में दीवार गिरने से 15 व्यक्तियों की मृत्यु, गढ़वा में बस दुर्घटना में पाँच मुसाफिरों की मृत्यु, वज्रपात से 15 व्यक्तियों की मृत्यु, हिमाचल प्रदेश में बस दुर्घटना में 43 व्यक्तियों की मृत्यु, राजस्थान के बाड़मेर में पंडाल गिरने से 14 व्यक्तियों की मृत्यु, बिहार में चमकी बुखार एवं बाढ़ की चपेट में आये बच्चों एवं विभिन्न व्यक्तियों की मृत्यु, चेन्नई में चतरा के मजदूरों की मृत्यु, सरायकेला-खरसावाँ जिले में नक्सली हमले में शहीद पाँच पुलिसकर्मियों एवं जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए फिदायीन हमले में सी.आर.पी.एफ. के शहीद हुए 42 जवानों के देहावसान पर आसन द्वारा गहरी संवेदना व्यक्त की गयी तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गयी।

इसके उपरांत बारी-बारी से सदन नेता, माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय मंत्री, श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम, श्री प्रकाश राम एवं श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता द्वारा शोक-संवेदनायें प्रकट की गयीं। तत्पश्चात् सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

इसके उपरांत, सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक–23 जुलाई, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

राँची,
दिनांक– 22 जुलाई, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।